भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 445
मंगलवार, 5 दिसंबर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारिता हेतु सहायता

†445 डॉ. उमेश जी. जाधवः
श्री प्रताप सिम्हाः
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार का विशेषरूप से डेयरी और चीनी क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने और सुदृढ़ करने के लिए राज्यों, विशेषरूप से कर्नाटक को किस तरह की सहायता दे रही है; और

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान सरकार उन राज्यों को क्या प्रोत्साहन दे रही है/देने का विचार है जो कृषक समुदाय विशेषरूप से चीनी क्षेत्र की मदद करने पर जोर दे रहे हैं?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने और कर्नाटक राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की डेयरी व चीनी सहकारी समितियों सहित सहकारिता क्षेत्र को सशक्त करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने 54 पहलें की हैं जिनका ब्यौरा **अनुबंध-I** पर संलग्न है ।

इसके अलावा, कर्नाटक राज्य सहित देश में डेयरी सहकारी समितियों के विकास और सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD).
ii. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष (DIDF)
iii. डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संघों को समर्थन (SDCFPO).
iv. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)
v. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)

कर्नाटक में डेयरी सहकारी समितियों के लिए कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर संलग्न है।

(ख): 2.5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों को आजीविका प्रदान करने वाली चीनी सहकारी समितियों के सशक्तिकरण हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. गन्ने की खरीद में वहन की गई व्यय राशि में कटौती प्रदान कर चीनी सहकारी समितियों को दी गई राहत ।

वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 36(1)(xvii) को अंतर्विष्ट किया गया जिससे सहकारी समितियों द्वारा चीनी बनाने के व्यवसाय में लिप्त सहकारी समितियों द्वारा वहन किए गए व्यय की राशि पर कटौती प्रदान की गई है । यह राहत दिनांक 01.04.2026 से, अर्थात् आकलन वर्ष 2016-17 से लागु हुआ है । तथापि, सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ने के अतिरिक्त भुगतान को किसान सदस्यों की आय वितरण के रूप में मानने और परिणामी कर देनदारियों का मामला अनसुलझे रह गए थे जिस पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 25.10.2021 के परिपत्र सं. 18/2021 के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया । तदनुसार, सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ने के मूल्य के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान पर परिणामी कर देनदारियों को दिनांक 01.04.2016 से घटा दिया गया ।

2. **सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लम्बित मामलों का समाधान**

चीनी सहकारी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 के पूर्व की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में मानने का एक अवसर दिया गया है । तदनुसार, वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से आयकर अधिनियम की धारा 155 को भी संशोधित करके दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से एक नई उपधारा (19) अंतर्विष्ट किया गया है । अधिनियम की धारा 155 की उपधारा (19) के अधीन क्षेत्राधिकारी आकलन अधिकारी को आवेदन करने की रीति को मानकीकृत करने के लिए और उक्त धारा के अधीन क्षेत्राधिकारी आकलन अधिकारी द्वारा इसके निपटान के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने दिनांक 27.07.2023 के परिपत्र सं. 2023 का 14 के माध्यम से संबंधित सहकारी चीनी मिलों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी किया है । इससे इस मामले में दशकों से लंबित आयकर समस्या का समाधान हो गया है । इससे लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहल मिलने का अनुमान है ।

3. **सहकारी चीनी मिलों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना**

सहकारिता मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान कुल 1,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से कार्यान्वयन हेतु 'सहकारी चीनी मिलों के सशक्तिकरण के लिए एनसीडीसी को सहायता अनुदान' नामक एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना की शुरूआत की है । एनसीडीसी इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी है । इस योजना के तहत एनसीडीसी को 1000 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा जो इस अनुदान को 10 गुणा बढ़ाकर सहकारी चीनी मिलों को एथनॉल संयंत्र स्थापित करने या कोजेनरेशन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी के लिए या फिर तीनों प्रयोजनों हेतु 10,000 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करेगा ।

4. **सहकारी चीनी मिलों को एथनॉल की खरीद में प्राथमिकता**

पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP) के तहत एथनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के बराबर रखा जाएगा ।

5. सहकारी चीनी मिलों की सहायता के लिए मोलासस पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% किया गया

सरकार ने मोलासस पर जीएसटी को 28% की मौजूदा दर से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है । इससे डिस्टिलरियों की तरलता में वृद्धि होगी क्योंकि मोलासस उनके कार्यों के लिए कच्ची सामग्री है । सहकारी चीनी मिल जिनके एथनॉल या डिस्टिलरी संयंत्र नहीं हैं, वे उच्चतर लाभ पर डिस्टिलरियों को मोलासस बेच कर मुनाफा कमा सकते हैं ।

उपरोक्त के अलावा, केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों और चीनी क्षेत्र के लिए आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में विभिन्न कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं:

(i) केंद्र सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3(1) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तय करती है।

(ii) चीनी की पूर्व-मिल कीमतों में गिरावट और गन्ना बकाया के संचय को रोकने के लिए चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय किया गया था (शुरुआत में 07-06-2018 से ₹ 29/किग्रा; 14-02-2019 से संशोधित होकर ₹ 31/किलोग्राम हो गया).

(iii) मिलों को ₹18,000 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई जिसके परिणामस्वरूप 7 वर्षों यानी चीनी सीज़न 2014-15 से 2020-21 के दौरान किसानों का बकाया चुकाया गया। कर्नाटक में, विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के तहत चीनी मिलों को ₹ 1600 करोड़ से अधिक जारी किए गए हैं।

(iv) अधिशेष चीनी को इथेनॉल के उत्पादन में लगाने से चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। परिणामस्वरूप, वे गन्ने का बकाया जल्दी चुकाने में सक्षम हैं।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, चीनी सत्र 2021-22 तक 99.9% से अधिक गन्ना बकाया का भुगतान कर दिया गया है। पिछले चीनी सीजन 2022-23 के लिए लगभग रु. 1.12 लाख करोड़ गन्ना किसानों को जारी किए गए हैं, जिससे किसानों का 98% से अधिक गन्ना बकाया चुकाया गया है।

*****

अनुबंध- I

सहकारिता मंत्रालय

सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपने गठन के बाद से, "सहकार-से-समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने और देश में पैक्स से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों तक सहकारी आंदोलन को मजबूत एवं सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। अब तक की गई पहलों और प्रगति की सूची निम्नवत है:

क. प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना

1. **पैक्स हेतु आदर्श (मॉडल) उपनियम जो उन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी तथा पारदर्शी संस्थाएं बनाते हैं**: सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से, पैक्स के लिए आदर्श (मॉडल) उपनियम तैयार करके सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किए हैं, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ करने में तथा अपने संचालन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी एवं व्यापक बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। मॉडल उपनियमों को अब तक 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है।

2. **कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सुदृढ़ीकरण :** पैक्स को सुदृढ़ बनाने हेतु, 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 63,000 कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें देश की सभी कार्यात्मक पैक्स को सामान्य ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना सम्मिलित है। परियोजना के अंतर्गत 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 62,318 पैक्स स्वीकृत किए गए हैं। सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है और अब तक 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 5,673 पैक्स में परीक्षण शुरू हो गए हैं।

3. **अनाच्छादित पंचायतों में नई बहु-उद्देशीय पैक्स/ डेयरी/ मत्स्य सहकारी समितियों का गठन:** सरकार द्वारा नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, एनसीडीसी और अन्य राष्ट्रीय स्तरीय संघों के सहयोग से अगले पांच वर्षों में प्रत्येक पंचायत/गांव को कवर करते हुए नई बहु-उद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 23 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 9,961 नई पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

4. **सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना:** सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (एसएमएएम), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), आदि विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे खाद्यान्न की बर्बादी तथा परिवहन लागत में कमी आयेगी, किसानों को उनकी

उपज की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी एवं विभिन्न कृषि आवश्यकताओं को पैक्स स्तर पर ही पूरा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, 22 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों जैसे कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन महासंघ लिमिटेड (नेफेड) द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए 1,711 पैक्स चिह्नित की गई हैं। वर्तमान में, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 13 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 13 पैक्स में निर्माण कार्य चल रहा है।

5. **ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच हेतु सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप मे पैक्स:** पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड तथा आईआरसीटीसी/बस/हवाई टिकट, आदि जैसी 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। अब तक 24,470 पैक्स द्वारा ग्रामीण नागरिकों को सीएससी सेवाएँ प्रदान करते हुए अपनी आय बढ़ाने का कार्य शुरू किया जा चुका है।

6. **पैक्स के माध्यम से नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन**: सरकार द्वारा ऐसे ब्लॉक में जहां अभी तक एफपीओ का गठन नहीं हुआ है या वह ब्लॉक किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, एनसीडीसी के सहयोग से पैक्स द्वारा 1,100 अतिरिक्त एफपीओ बनाने की अनुमति दी गई है। यह किसानों को उनकी उपज के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य तथा आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान करने में सहायक होगा।

7. **खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट हेतु पैक्स को प्राथमिकता**: सरकार द्वारा खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के आवंटन हेतु पैक्स को संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी2) में शामिल करने की अनुमति दी गई है। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल 228 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

8. **पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने की अनुमति:** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ चर्चा के आधार पर, पैक्स की आय में वृद्धि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को खुदरा दुकानों में परिवर्तित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 5 राज्यों के 109 थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स ने खुदरा दुकानों में रूपांतरण के लिए सहमति दी है, जिनमें से 43 पैक्स को ओएमसी से आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुए हैं ।

9. **पैक्स द्वारा अपनी गतिविधियों में विविधता लाने हेतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्रता:** सरकार द्वारा पैक्स को एलपीजी वितरण हेतु आवेदन करने की अनुमति दे दी गई है। इससे पैक्स को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने का अवसर मिलेगा। झारखंड राज्य में दो स्थानों का विज्ञापन जारी किया जा चुका है।

10. **ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं की पहुंच में सुधार हेतु प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स**: सरकार पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र संचालित करने हेतु बढ़ावा दे रही है, जो उन्हें अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करेगा तथा ग्रामीण नागरिकों को जेनेरिक दवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। अब तक 4,289 पैक्स/ सहकारी समितियों द्वारा पीएम जनऔषधि केंद्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जिनमें से 2,293 पैक्स को प्रारंभिक मंजूरी भी दे दी गई है।

11. **प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केन्द्र (पीएमकेएसके) के रूप में पैक्स :** सरकार देश में किसानों तक उर्वरक और संबंधित सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैक्स को पीएमकेएसके संचालित करने हेतु बढ़ावा दे रही है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 28,648 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में कार्य कर रहे हैं।

12. **पैक्स स्तर पर पीएम-कुसुम का अभिसरण:** पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित कर सकते हैं।

13. **पैक्स द्वारा ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं (पीडब्लूएस) का संचालन एवं रखरखाव :** ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की पहुंच का उपयोग करते हुए, सहकारिता मंत्रालय की पहल पर, जल शक्ति मंत्रालय ने पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव (ओएंडएम) करने की अनुमति दे दी है। राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभी तक 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पंचायत/ ग्राम स्तर पर 1,381 पैक्स को ओएंडएम सेवाएं प्रदान करने हेतु चिह्नित किया गया है।

14. **डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम:** डेयरी तथा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को डीसीसीबी एवं एसटीसीबी का बैंक मित्र बनाया जा सकता है। व्यापार की सुगमता, पारदर्शिता तथा वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने हेतु, इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'डोर स्टेप वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से माइक्रो-एटीएम भी प्रदान किये जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में बैंक मित्र सहकारी समितियों को 1,723 माइक्रो-एटीएम वितरित किए जा चुके हैं ।

15. **दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड:** ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुंच और डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक चल निधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने तथा अन्य वित्तीय लेनदेन में सक्षम बनाने हेतु सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (रुपे केसीसी) वितरित किए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में 73,503 रुपे केसीसी वितरित किए जा चुके हैं।

16. **मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों का गठन (एफएफपीओ)**: मछुआरों को बाजार लिंकेज तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने हेतु, एनसीडीसी द्वारा प्रारंभिक चरण में 69 एफएफपीओ का पंजीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने 225.50 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ एनसीडीसी को 1000 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को एफएफपीओ में बदलने का कार्य सौंपा है।

ख . <u>शहरी एवं ग्रामीण सहकारी बैंको का सुदृढ़ीकरण</u>

17. **यूसीबी को व्यापार विस्तार करने हेतु नई शाखाएं खोलने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) अब आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% (अधिकतम 5 शाखाएँ) तक नई शाखाएँ खोल सकते हैं।

18. **आरबीआई द्वारा यूसीबी को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति:** यूसीबी द्वारा अब डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है । इन बैंकों से जुड़े खाताधारक अब घर पर ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं, जैसे नकद निकासी एवं नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट, पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, आदि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

19. **सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करने की अनुमति:** सहकारी बैंक बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अब तकनीकी राइट-ऑफ के साथ-साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान कर सकते हैं।

20. **यूसीबी को दिए गए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समय सीमा बढ़ाई गई:** आरबीआई द्वारा यूसीबी के लिए पीएसएल के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा दो साल अर्थात 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

21. **यूसीबी के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित:** सहकारिता क्षेत्र की गहन समन्वय और केंद्रित संवाद की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने हेतु आरबीआई द्वारा एक नोडल अधिकारी अधिसूचित किया है।

22. **आरबीआई द्वारा ग्रामीण तथा शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दोगुनी से अधिक की गई:**
    क. शहरी सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा अब 30 लाख रुपये से दोगुनी कर 60 लाख रुपये कर दी गई है।
    ख. ग्रामीण सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई है।
23. **ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट/रिहाइशी आवास क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे, जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी:** इससे न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि हाउसिंग सहकारी समितियों को भी लाभ होगा।

24. सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क कम किया गया: सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (एईपीएस) से जोड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है। सहकारी वित्तीय संस्थान भी प्री-प्रोडक्शन चरण के पहले तीन महीनों में यह सुविधा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे । इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक के माध्यम से घर बैठे ही बैंकिंग की सुविधा प्राप्त हो सकेगी ।

25. ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैर-अनुसूचित यूसीबी, एसटीसीबी और डीसीसीबी को सीजीटीएमएसई योजना में सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) के रूप में अधिसूचित किया गया: सहकारी बैंक अब दिए गए कर्ज पर 85 फीसदी तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से कोलैटरल मुक्त ऋण मिल सकेगा।

26. शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करने हेतु शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना: वे यूसीबी जो 'वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित' (एफएसडब्ल्यूएम) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण हेतु आवश्यक न्यूनतम जमा राशि बनाए हुए हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची II में शामिल होने के लिए पात्र हैं तथा 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।

27. गोल्ड लोन के लिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई: आरबीआई द्वारा पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से दोगुना कर 4 लाख रुपये कर दिया गया है ।

28. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन: आरबीआई द्वारा यूसीबी क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (यूओ) की स्थापना हेतु नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (नैफकब) को मंजूरी दे दी गई है, जिससे लगभग 1,500 यूसीबी को आवश्यक आईटी अवसंरचना और संचालन में सहायता मिलेगी।

(ग) <u>सहकारी समितियों के लिए आयकर अधिनियम में राहत</u>

29. 1 से 10 करोड़ रूपये तक की आय वाली सहकारी समितियों का अधिभार 12% से घटाकर 7% किया गया: इससे सहकारी समितियों पर आयकर का बोझ कम पड़ेगा तथा काम के लिए उनके पास अधिक मात्रा में पूँजी उपलब्ध हो पाएगी, जिससे उनके सदस्यों को लाभ मिलेगा।

30. सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया: इस प्रावधान से अब सहकारी समितियों तथा कंपनियों के बीच इस मामले में समतुल्यता आ गई है ।

31. अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत नकद लेनदेन में राहत: सहकारी समितियों द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत नकद लेनदेन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु सरकार द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि किसी सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के

साथ एक दिन में किए गए 2 लाख रूपये से कम के नकद लेनदेन को अलग समझा जाएगा और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ।

32. **नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती:** सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 31, 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगेगा। इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन मिलेगा।

33. पैक्स एवं पीसीएआरडीबी द्वारा नकद जमा राशियों व नकद ऋणों की सीमा में वृद्धि: सरकार द्वारा पैक्स एवं प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको (पीसीएआरडीबी) द्वारा नकद जमा राशियों एवं नकद ऋण की सीमा को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दिया गया है । यह प्रावधान उनकी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाएगा, उनके व्यवसाय को बढ़ाएगा तथा समितियों के सदस्यों को लाभान्वित करेगा ।

34. नकद निकासी में स्रोत पर कर कटौती की सीमा में वृद्धि: सरकार द्वारा सहकारी समितियों के स्त्रोत पर कर कटौती किये बिना उनकी नकद निकासी की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों को स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की बचत होगी, जिससे उनकी चल निधि में वृद्धि होगी ।

घ. <u>सहकारी चीनी मिलों का पुनरुत्थान</u>

35. सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत: सरकार द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि अप्रैल, 2016 उपरान्त किसानों को उचित और लाभकारी या राज्य सलाहित मूल्य तक गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर सहकारी चीनी मीलों को अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा।

36. सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान: सरकार द्वारा अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में यह प्रावधान किया गया है कि चीनी सहकारी समितियों को आंकलन वर्ष 2016-17 से पूर्व गन्ना किसानों को किये गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी, जिससे उन्हें 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राहत मिली है।

37. सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकारण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना: सरकार द्वारा इथेनॉल संयंत्र या सह-उत्पादन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी या तीनों उद्देश्यों के लिए एनसीडीसी के माध्यम से एक योजना शुरू की गई है। एनसीडीसी द्वारा अब तक, 24 सहकारी चीनी मिलों को 3,010 करोड़ रुपये की ऋण राशि की मंजूरी दी जा चुकी है।

38. सहकारी चीनी मिलों को एथेनॉल की खरीद में प्राथमिकता: एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत भारत सरकार द्वारा एथेनॉल खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को अब निजी कंपनियों के समतुल्य रखा गया है ।

39. शीरा पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% किया गया: सरकार द्वारा शीरा पर जीएसटी मौजूदा 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है, जिससे सहकारी चीनी मिलें उच्च मार्जिन पर डिस्टिलरीज को शीरा बेचकर अपने सदस्यों के लिए अधिक मुनाफा कमा सकेंगी ।

ङ <u>राष्ट्रीय स्तरीय तीन नई बहु-राज्यीय समिति</u>

40. प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्यीय सहकारी बीज समिति: सरकार द्वारा एकल ब्रांड के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत अम्ब्रेला संगठन के रूप में एक नई शीर्ष बहु-राज्य भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की गई है । अब तक, 27 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की 8,200 पैक्स/ सहकारी समितियां इसकी सदस्य बन चुकी हैं।

41. जैविक खेती के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्यीय सहकारी जैविक समिति: सरकार द्वारा प्रमाणित एवं प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण एवं विपणन के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में एक नई शीर्ष बहु राज्य-राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) समिति की स्थापना की गई है। अब तक, 24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की 2,475 पैक्स/ सहकारी समितियां इसकी सदस्य बन चुकी हैं। NCOL द्वारा अब तक 6 जैविक उत्पादों को लॉन्च किया जा चुका है।

42. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय बहु राज्यीय सहकारी निर्यात समिति: सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत अम्ब्रेला संगठन के रूप में एक नई शीर्ष बहु राज्य राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) समिति की स्थापना की गई है । अब तक, 22 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की 2,625 पैक्स/ सहकारी समितियां इसकी सदस्यत बन चुकी हैं। NCEL को अभी तक, 16 देशों में 14.92 एलएमटी चावल और 2 देशों में 50,000 मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति मिल चुकी है ।

च. <u>सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण</u>

43. सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना: सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, शोध एवं विकास तथा प्रशिक्षित श्रमबल की स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति हेतु एक सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं ।

44. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता को प्रोत्साहन:** एनसीसीटी द्वारा अपनी पहुँच बढ़ाते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,287 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथा 2,01,507 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

छ. <u>'व्यवसाय करने की सुगमता' हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग</u>

45. केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण: बहु राज्य सहकारी समितियों के लिए एक- डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु केंद्रीय पंजीयक कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, जो समयबद्ध तरीके से आवेदनों और सेवा अनुरोधों को संसाधित करने में सहायता करेगा ।

46. राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में आरसीएस के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु योजना: सहकारी समितियों के लिए 'व्यवसाय करने की सुगमता' को बढ़ाने एवं सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पेपर रहित पारदर्शी विनियमन हेतु एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, आरसीएस कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु केंद्र प्रायोजित परियोजना को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है । राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर के विकास, आदि के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।

47. कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कम्प्यूटरीकरण: सरकार द्वारा दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने हेतु 1,851 कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी)

के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। नाबार्ड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है तथा एआरडीबी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सॉफ्टवेयर विकसित करेगा। परियोजना के तहत हार्डवेयर, लिगेसी डेटा के डिजिटलीकरण के लिए सहायता, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, आदि प्रदान किए जाएंगे।

ज. <u>अन्य पहलें</u>

48. प्रमाणिक एवं अपडेटेड डेटा संग्रहण के लिए नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस: नीति निर्माण और देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में हितधारकों की सुविधा के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश की सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है । अब तक डेटाबेस में लगभग 7.86 लाख सहकारी समितियों का डेटा शामिल किया जा चुका है ।

49. नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का निर्माण: सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु नई राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाई जा रही है, जिसके लिए देश भर से 49 विशेषज्ञों तथा हितधारकों को सम्मिलित करते हुए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है ।

50. बहु-राज्यीय सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2023: बहु राज्यीय सहकारी समितियों में शासन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता तथा जावाबदेही बढ़ाने, चुनावी प्रक्रिया को बेहतर करने तथा 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को सम्मिलित करने हेतु एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन किए गए हैं।

51. जेम पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में सम्मिलित करना: सरकार ने सहकारी समितियों को जेम पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दे दी है, जिससे वे लगभग 67 लाख से अधिक विक्रेताओं से किफायती दर पर एवं अधिक पारदर्शिता के साथ सामान एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय कर सकते हैं । अब तक 559 सहकारी समितियाँ जेम पर क्रेता के रूप में ऑनबोर्ड हो चुकी हैं ।

52. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की व्यापकता एवं गहनता बढ़ाने हेतु गतिविधियों का विस्तार: एनसीडीसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे एसएचजी के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मछली पालन के लिए 'नील सहकार' शुरू की गईं हैं । वित्तीय वर्ष 2022-23 में एनसीडीसी द्वारा कुल 41,024 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की गई, जो वर्ष 2021-22 में 34,221 करोड़ रुपये के संवितरण से लगभग 20% अधिक है । भारत सरकार ने एनसीडीसी को निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के पालन के अधीन, सरकारी गारंटी के साथ 2,000 करोड़ रुपये के बोंड जारी करने की अनुमति दी है । इसके अतिरिक्त, एनसीडीसी विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं को सहकारी समितियों के डोर-स्टेप तक पहुंचाने के उद्देश्य से 6 पूर्वोत्तर राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एवं त्रिपुरा में उप-कार्यालय स्थापित कर रहा है।

53. **एनसीडीसी द्वारा गहरे समुद्री ट्रॉलरों हेतु वित्तीय सहायता**: एनसीडीसी भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के समन्वय से गहरे समुद्र में ट्रॉलर से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

प्रदान कर रहा है । एनसीडीसी ने महाराष्ट्र राज्य की मात्स्यिकी सहकारी समितियों के लिए 14 गहरे समुद्र ट्रॉलर की खरीद हेतु 20.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

54. **सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड:** सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। जमाकर्ताओं की उचित पहचान एवं उनकी जमा राशि तथा दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ।

******

अनुबंध- II

1. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष (DIDF): कर्नाटक राज्य में सहकारी डेयरी यूनियन वाइज दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	अंतिम उधारकर्ता का नाम	फंडिंग एजेंसी	कुल परिव्यय	ऋण स्वीकृत	ईबी मार्जिन	31 अक्टूबर तक ऋण वितरण 2023	टिप्पणियां
1	केएमएफ रामनगर, कर्नाटक	नाबार्ड	300.00	210.00	90.00	205.29	परियोजना पूरी हो गई है।
2	मैसूर दुग्ध संघ, कर्नाटक	नाबार्ड	121.66	63.87	57.79	63.87	परियोजना पूरी हो गई है।
3	दक्षिण कनंदा दुग्ध संघ, कर्नाटक	नाबार्ड	86.42	55.00	31.42	51.76	परियोजना पूरी हो गई है।
4	कोलार दुग्ध संघ, कर्नाटक	नाबार्ड	158.90	103.18	55.73	83.94	परियोजना पूरी हो गई है।
5	केएमएफ चन्नारायपटना, कर्नाटक	नाबार्ड	109.41	87.53	21.88	58.08	परियोजना पूरी हो गई है।
6	चामराजनगर दुग्ध संघ, कर्नाटक	नाबार्ड	124.72	60.00	64.72	55.83	परियोजना पूरी हो गई है।
7	बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण और रामनगर दुग्ध संघ, कर्नाटक	नाबार्ड	499.73	200.00	299.73	191.39	परियोजना पूरी हो गई है।
8	हसन दुग्ध संघ, कर्नाटक	एनडीडीबी	810.00	350.00	460.00	138.84	परियोजना चल रही है।

क्रम सं.	अंतिम उधारकर्ता का नाम	फंडिंग एजेंसी	कुल परिव्यय	ऋण स्वीकृत	ईबी मार्जिन	31 अक्टूबर तक ऋण वितरण 2023	टिप्पणियां
9	तुमकुर दुग्ध संघ	एनडीडीबी	154.03	123.22	30.81	15.39	परियोजना चल रही है।
10	मैसूर दुग्ध संघ	एनडीडीबी	115.03	92.03	23.01	0.36	परियोजना चल रही है।
कुल			**2479.90**	**1344.82**	**1135.08**	**864.74**	

2. **डेरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संघों को समर्थन :** कर्नाटक राज्य में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में दिनांक 20 नवम्बर 2023 तक अवमुक्त ब्याज सबवेंशन की स्थिति निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	वर्ष	ब्याज सहायता मंजूर			नियमित ब्याज सहायता वितरित @ 2% प्रति वर्ष।	अतिरिक्त ब्याज सहायता वितरित की गई 2% प्रति वर्ष।	कुल ब्याज सहायता वितरित
		सहकारी समितियों की संख्या	कार्यशील पूंजी ऋण	सबवेंशन राशि @ 2% प्रति वर्ष।			
1	2020-2021	12	777.88	9.81	4.89	4.89	9.79
2	2021-2022	12	794.75	10.75	5.07	5.07	10.14
3	2022-2023	4	220.62	3.21	0.56	0.56	1.12
4	2023-2024	4	234.75	3.07	0.27	0.00	0.27
कुल				**26.84**	**10.79**	**10.52**	**21.32**

3. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत सुनिश्चित गर्भावस्था (ABIP-SS) प्राप्त करने के लिए लिंग्युक्त वीर्य का उपयोग:** स्वदेशी नस्लों सहित 90% सटीकता के साथ मवेशियों और भैंसों की विभिन्न नस्लों की अधिक संख्या में मादा बछड़ों के उत्पादन के लिए लिंगयुक्त वीर्य के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आरजीएम के तहत एबीआईपी-एसएस को मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना को कर्नाटक पशुधन विकास एजेंसी सहित 21 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए मंजूरी दे दी गई है। कर्नाटक राज्य के लिए इस परियोजना का कुल परिव्यय रु. 42.08 करोड़ है। इस परियोजना के तहत एआई के लिए किसानों को सेक्स सॉर्टेड वीर्य खुराक (प्रत्येक स्तनपान में प्रत्येक जानवर के लिए अधिकतम 2 एआई तक) के लिए 425 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती हैं।

4. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** इस योजना के तहत चारा बीज उत्पादकों के लिए ब्रीडर बीज (250 रुपये प्रति किलोग्राम तक), फाउंडेशन बीज (150 रुपये प्रति किलोग्राम तक) और प्रमाणित बीज (100 रुपये प्रति किलोग्राम तक) के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
कर्नाटक राज्य में चार दुग्ध संघों (तुमकुर, बेंगलुरु, रायचूर-बेल्लारी और कोलार दुग्ध संघ) को 2022-23 ख़रीफ़ सीज़न में मक्का और ज्वार की फसल के 10,462 क्विंटल चारा बीज के उत्पादन के लिए 996 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया गया। इसी प्रकार राज्य में 2023-24 खरीफ सीजन में अनुमानित 20,800 क्विंटल चारे के उत्पादन के लिए लगभग 1,929 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

5. कर्नाटक के चिक्कमगलूर जिले में ग्राम पंचायत में डीसीएस की स्थापना पर पायलट प्रोजेक्ट:

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा परिकल्पित 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, नवगठित सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं और की जा रही हैं। इस दृष्टिकोण के तहत, मंत्रालय ने देश की सभी ग्राम पंचायतों को पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मत्स्य पालन सहकारी समिति से कवर करने की परिकल्पना की है। इस पहल के एक भाग के रूप में, एनडीडीबी हसन मिल्क यूनियन के माध्यम से चिक्कमगलूर जिले की ग्राम पंचायत में 22 डीसीएस की स्थापना पर एक पायलट प्रोजेक्ट लागू कर रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एनडीडीबी अपने संसाधनों से 88 लाख रुपये का अनुदान और तकनीकी समर्थन प्रदान कर रहा है।.

*****